HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 9755/2026
URN: CRLMB / 18060U / 2026

Kailash Chand Yadav S/o Late Parasram, R/o Mundiyakheda, Tehsil Mundawar, District Khairthal Tijara, Rajasthan. (Presently Confined At Sub Jail Kishangarh Bas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Bharat Yadav
For Respondent(s) : Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

14/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 160/2026 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 74, 75(2), 76, 331(6) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.05.2026 को निरस्त होने के उपरांत अब प्रकरण में अनुसंधान पूरा किया जा चुका है तथा आरोप–पत्र अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 74, 75(2), 76, 331(6) भारतीय न्याय संहिता में आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। उनका यह भी तर्क है कि पूर्व में ऐसी ही किसी घटना का संदर्भ पहले के आदेश में आया है परंतु आरोप–पत्र में ऐसा कोई मामला अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज हुआ हो, दर्शित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। उनका तर्क है कि पक्षकार पड़ौसी हैं एवं नाली के झगड़े को लेकर बढ़ा–चढ़ाकर झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उनका यह भी तर्क है कि तथाकथित रूप से जो मोबाइल फोन मौके पर छूटना बताया गया है वह वास्तविकता में

पीड़िता के घर के बाहर से किसी जगह से बरामद हुआ है। अभियुक्त दिनांक 20.04.2026 से अभिरक्षा में है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 115(2), 74, 75(2), 76, 331(6) भारतीय न्याय संहिता का आक्षेप है। अनुसंधान के पश्चात् आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के पश्चात् प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुा है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.05.2026 को निरस्त किया गया था, उसके पश्चात् प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप–पत्र अंतर्गत धारा 115(2), 74, 75(2), 76, 331(6) भारतीय न्याय संहिता पेश हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध नहीं होने का तथ्य सामने आया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **कैलाशचंद पुत्र परसराम** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां** प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

2/AJAY KUMAR SINGHAL/712